न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा जिला राजसमन्द

(पीठासीन अधिकारी– शक्तिसिंह भाटी, आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 148/2017
दायर दिनांक – 10/11/2017
निर्णय दिनांक – 28/05/2018

अनवान

1. भाना पिता वालिया भील निवासी पीपावास तहसील रेलमगरा
2. दल्ला उर्फ दलीचन्द भील पीपावास तहसील रेलमगरा
3. तेजा पिता वालिया भील पीपावास तहसील रेलमगरा
4. रोशन पिता वालिया भील पीपावास तहसील रेलमगरा

प्रार्थीगण

बनाम

1. सुखी पिता हीरालाल जी माली पीपावास तहसील रेलमगरा
2. सीता पिता हीरालाल जी पीपावास तहसील रेलमगरा
3. भगवती पिता हीरालाल माली निवासी पीपावास तहसील रेलमगरा
4. नानी बाई पिता किशना माली निवासी पीपावास तहसील रेलमगरा
5. रामा पिता गोकल माली निवासी पीपावास तहसील रेलमगरा
6. मोहन पिता गोकल माली निवासी पीपावास तहसील रेलमगरा
7. पुश्पा बाई पत्नि हजारी माली निवासी पीपावास तहसील रेलमगरा
8. राजी बाई पत्नि मोहनलाल माली निवासी पीपावास तहसील रेलमगरा
9. बाबुलाल पिता लेहरूलाल माली निवासी पीपावास तहसील रेलमगरा
10. रोशनलाल पिता लेहरूलाल माली निवासी पीपावास तहसील रेलमगरा
11. सुगना पिता लेहरूलाल माली निवासी पीपावास तहसील रेलमगरा
12. भुरी बाई पत्नि लेहरूलाल माली निवासी पीपावास तहसील रेलमगरा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

: : निर्णय : :

प्रार्थीगण द्वारा जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रस्तुत किया कि ग्राम पीपावास की सीम में प्रार्थीगण के स्वामीत्व आधिपत्य की आराजी संख्या 473 रकबा 0–04 बीघा, आराजी संख्या 908/196 रकबा 1–10 बीघा, आराजी संख्या 909/474 रकबा 1–01 बीघा, आराजी

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

संख्या 910/474 रकबा 1—07 बीघा, आराजी संख्या 906/474 रकबा 1—00 बीघा, आराजी संख्या 474 रकबा 1—01 बीघा स्थित है प्रमाण में जमाबंदी व नक्शाट्रेस की प्रमाणीत प्रतिलिपियां सलग्न है। प्रार्थीगण की प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 01 में वर्णित की आराजीयात के दक्षिण दिशा में विपक्षीगण की आरजी सं. 496 की पशिचमी पाली से होकर उक्त आराजी संख्या 473 की दक्षिणी पशिचमी कोने पर रास्ते के रूप में उपयोग कर आते जाते है। प्रमाण में जमाबंदी व नक्शाट्रेस की प्रमाणीत प्रतिलिपिया सलग्न है। प्रार्थीगण अपनी आराजी संख्या 473, 474 ,909/474, 899/474, 906/474 में आने जाने हल, बैलगाडी टेक्टर आदि लाने ले जाने एवं काश्त करने हेतु आराजी संख्या 496 में पश्चिमी पाली के सहारे अपनी आराजी संख्या 473, 474, 909/474, 899/474, 906/474 में प्रवेश करने हेतु प्रार्थीगण को आवश्यकता है तथा उक्त रास्ते का उपयोग उपभोग कर हल बैलगाडी आदि काश्त करने हेतु साधन सुविधा वर्षो से लाते ले जाते है जो अपने पुर्वजो के समय से ही उक्त कदमी रास्ते का उपयोग उपभोग निरन्तर निर्वघ्न रूप से साधिकार पुर्वक करता चला आ रहा है। लेकिन उक्त आराजीयात विपक्षीगण के नाम पर दर्ज होने से एवं रास्ता रेकार्ड में दर्ज नही होने के कारण विपक्षीगण प्रार्थीगण को रास्ते के लिये परेशान करते है। आराजी संख्या 496 वर्तमान के नाम पर होने से विपक्षीगण जबरन अपने भुजबल व धनबल के आधार पर प्रार्थीगण को उक्त कदिमी रास्ते को उपयोग में व्यवधान बाधा रूकावट कारित करते है तथा प्रार्थीगण को अपनी आराजी संख्या 473, 474, 909/474, 899/474. 906/474 के उपयोग उपभोग में कृषि कार्य करने में रास्ते में आने जाने हेतु रूकावट बाधा कारित करते है तथा वर्तमान में उक्त कदीमी रास्ते को तारबंदी लगाकर बंद कर दिया है तथा कहते है कि उक्त आराजीयात हमारे नाम पर है जिस कारण हम आपको उक्त रास्ते से नहीं आने जाने देंगे। जबकि प्रार्थीगण के अपनी उक्त आराजीयत में आने जाने हेतु उक्त कदिमी रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक एवं रेकार्डेड रास्ता मोके पर विद्यमान नहीं है तथा उक्त रास्ते की प्राथीगण को सख्त आवश्यकता है प्रार्थीगण को उक्त आराजीयात में आने जाने हेतु उक्त रास्सता अपने निवास स्थान से निकटतम है एवं अन्य होई वैकल्पिक अथवा

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

रेकार्डेड रास्ता प्रार्थीगण के लिए अपनी आराजी में आने जाने हेतु नहीं हे जिस कारण प्रार्थीगण को विपक्षीगण आये दिन रास्ते को लेकर परेशान करते है जिस कारण प्रार्थीगण को मजबुर होकर उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना पड रहा है। प्रार्थीगण को अपने आराजी संख्या 473, 474, 909/474, 899/474. 906/474 में आने जाने हल , बैल बैलगाडी टेक्टर लाने ले जाने हेतु भूमि के काश्त करने इत्यादि हेतु आराजी संख्या 496 की पश्चिमी पाली पर 12 फीट चौडा एवं सम्पर्ण लम्बाई प्रार्थगण की आराजी संख्या 473 की दक्षिणी पाली के पश्चिमी कोने तक के प्रारम्भ तक के रास्ते की सख्त आवश्यकता है जिस निमित प्रार्थीगण की ओर से उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थीगण को रास्ता अपनी आराजी संख्या 473, 474, 909/474, 899/474, 906/474 में हल, बैल, बैलगाडी, ट्रेक्टर जाने ले जाने के लिये आराजी संख्या 496 की पश्चिमी पाली पर 12 फिट चौडा एवं सम्पूर्ण लम्बाई में आराजी संख्या 473 की दक्षिणी पाली के पश्चिमी कोने तक विपक्षीगण से दिलाया जाने का आदेश प्रदान कराया जावें।

इस पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विपक्षी संख्या 04 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से प्रकरण में एक तरफा कार्यवाही के आदेश प्रदान किये गये। पत्रावली अन्य विपक्षीगण के जवाब में नियत था कि प्रकरण को राज्य सरकार द्वारा आयोजित राजस्व लोक अदालत अभियान : न्याय आपके द्वार–2018 के तहत ग्राम पंचायत कोटडी पर रखा जाकर पक्षकारान को सूचना पत्र से तलब किया गया। दौराने शिविर पक्षकारान बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से प्रकरण में तहसीलदार रेलमगरा से मौका एवं रेकार्ड की स्थिति की रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार रेलमगरा द्वारा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी है कि राजस्व नक्शा में न्युनतम क्षैत्रफल आराजी संख्या 496 से बनता है। वादीगण को अपने आराजियात पर आने जाने हेतु 496 के पश्चिमी पाली पर 13.2 फिट चौडा व 792 फिट लम्बाई अर्थात् 10454 वर्गफिट या 00–12 बीघा क्षैत्रफल बनता है। वादीगण को अपने खेतों में आने

सहायक कलक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

जाने हेतु आराजी संख्या 496 के अलावा दो अन्य आराजी 500/1, 500/2 का रकबा भी बीच में आता है जो कि दोनो आराजी खातेदारी हक से दर्ज रेकार्ड है। उक्त दोनो आराजी नम्बर 500/1 में से 13.2 चौडा 105.6 फिट लम्बाई अर्थात 1393.92 वर्गफिट अर्थात 00–01–10 बीघा एवं आराजी संख्या 500/2 में से 13.2 चौडा 79.2 फिट लम्बाई अर्थात 1045.44 वर्गफिट अर्थात 00–01–00 बीघा भूमि क्षैत्रफल बनता है। उक्त दोनो आराजी की पूर्वी पाली पर मौके पर रास्ता बना हुआ है जो कि खातेदारी भूमि है। जिनके खातेदारों की जमाबन्दी साथ संलग्न है। उक्त सभी आराजियात में से होकर रास्ता निकालने पर कोई बीच में कोई निर्माण कार्य एवं नाला, धोरा नही आते है मौके पर कुछ बैरी की झाडियां व अंग्रेजी बंबूल के पेड खडे है। अन्य कोई बडा हरा पेड नही आता है। वादी ने आराजी संख्या 500/1 व 500/2 के खातेदारों को प्रतिवादी नही बनाया गया है जबकि उक्त दोनो आराजियात की पूर्वी पाली पर रास्ता होते हुए आराजी संख्या 496 में प्रवेश करता है। मौका रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण का मैरिट पर निस्तारण किया जाता है।

तहसीलदार रेलमगरा की रिपोर्ट एवं पत्रावली व उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया तो तहसीलदार रेलमगरा की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी की खातेदारी भूमि पर आने जाने हेतु मौका एवं रेकार्ड अनुसार रास्ते का आरम्भ आराजी संख्या 500/1 व 500/2 की पूर्वी पाली से होकर उसके पश्चात् विपक्षीगण की आराजी संख्या 496 की पश्चिमी में रास्ता आता जो प्रार्थी की खातेदारी भूमि आराजी संख्या 473 तक जाता है। ऐसी स्थिति में जब आराजी संख्या 500/1 व 500/2 भी आवश्यक पक्षकार होने तथा रास्ते का प्रारम्भ की उक्त दोनो आराजिया में से होने से उक्त आराजियात के खातेदारों को भी पक्षकारान बनाया जाकर रास्ते के प्रारम्भ से प्रार्थी को मांग की जानी चाहिए थी किन्तु प्रार्थी के मौके पर रास्ता की मांग मध्य के खातेदार से की गयी है और रेकार्ड में रास्ता प्रारम्भ से प्रदान नही किया जाकर मध्य से प्रदान किया जाना न्याय संगत प्रतीत नही होता है।

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

अतः प्रार्थी द्वारा रास्ते के प्रारम्भ के खातेदारों के विरूद्व कोई दाद नही चाहने और ना ही पक्षकार बनाये जाने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें।

निर्णय आज दिनांक 28/05/2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर कैम्प कोटडी पर सुनाया गया।

(शक्तिसिंह भाटी)

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)